न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री छगन लाल गोयल आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 08/2017

अपीलान्ट्स

01. जसी देवी पुत्री अमराराम पत्नी केसूराम जाति सुथार निवासी शहीद मेघसिंह नगर गोपालसर हाल निवासी सालोड़ी तहसील व जिला जोधपुर।
02. सिवरी देवी पुत्री अमराराम पत्नी मोहनराम जाति सुथार निवासी शहीद मेघसिंह नगर गोपालसर हाल निवासी तेना तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर।
03. रूकमो देवी पुत्री अमराराम पत्नी जैताराम जाति सुथार निवासी शहीद मेघसिंह नगर गोपालसर हाल निवासी तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

ब ना म

रेस्पोडेन्ट्स

01. जसाराम पुत्र श्री अमराराम जाति सुथार
02. रावलराम पुत्र श्री अमराराम जाति सुथार
03. श्रीमती फुली पत्नी स्व0 अमराराम जाति सुथार निवासीगण ग्राम शहीद मेघसिंह नगर गोपालसर तहसील बालेसर जिला जोधपुर
04. तहसीलदार बालेसर तहसील बालेसर जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम विरुद्ध म्यूटेशन संख्या 129 राजस्व ग्राम राजाबन्ध को उप तहसीलदार बालेसर के द्वारा दिनांक 14.02.2008 को स्वीकृत किया

उपस्थिति :

1. अपीलान्ट की ओर से श्री गिरधर सिंह भाटी उपस्थित।

2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 बावजुद इतला तामील नोटीस के अनुपस्थित।

–: आदेश :–

दिनांक : 15.12.2017

यह प्रस्तुत राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत विरुद्ध नामान्तरकरण 129 ग्राम राजाबन्ध, दिनांक 14.02.2008, नामान्तरकरण स0 उपतहसीलदार बालेसर द्वारा स्वीकृत किये गये है, के विरुद्ध पेश की गयी है।

अपीलार्थीया के अभिभाषक ने अपने अपील मीमों में कथन किया कि ग्राम राजाबन्ध, में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के पिता/पति स्व. अमराराम के नाम से संयुक्त खातेदारी में दर्ज हुई थी। स्व. श्री अमराराम का देहान्त होने पर जो फौतेदगी म्यूटेशन हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 14.02.2008 को यह नोट लगाकर पेश किया कि खातेदार अमराराम दो माह पूर्व फौत हुए इनके जाईन्दा वारिसो के नाम नामान्तरकरण भरकर जाँच व स्वीकृती हेतु

पेश है। लेकिन हल्का पटवारी ने स्व0 अमराराम के सभी प्रथम श्रेणी वारिशान की जाँच नही कर नामान्तरकरण नही भरा गया। स्व0 अमराराम के प्रथम श्रेणी के वारिस तीन जायन्दा पुत्रिया अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट स. 03 पत्नी है। नामान्तरण स्वीकृत करने से पूर्व अपीलान्ट को किसी प्रकार का सुनवाई व विवाद नही किया और विवादग्रस्त आराजी का नामान्तकरण स्वीकृत कर दिया जो कानूनन गलत है जबकि अपीलान्ट भी स्व. अमराराम की जायन्दा पुत्रीया है। हमारा नाम भी राजस्व रेकर्ड में होना चाहिये। जबकी स्व. अमराराम के फौत होने पर राजस्व रेकर्ड में पुत्रों व पत्नि के नाम दर्ज किया गया है। जो गलत है।

अपीलार्थी ने अपनी अपील मीमो के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियांद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादबग्रस्त आराजी का पांचों अपीलों में स्वीकृत नामान्तरकरण स्वीकृत की जानकारी अपीलान्ट को जानकारी नहीं थी उक्त स्वीकृत नामान्तरकरण की नकले हल्का पटवारी से प्राप्त करने पर उक्त आदेश की जानकारी हुई दिनांक 21.04.2017 को इससे पूर्व जानकारी नही थीं करण कि अपीलान्ट ग्रामिण परिवेश की औरत है तथा अनपढ़ है। कानूनी की जानकारी नही है अतः अपील अन्दर मियांद प्रस्तुत की जा रही है।

हमने पत्रावली का विस्तृत अवलोकन किया अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम को न्याय हित में स्वीकार किया जाकर अपीलार्थीया की अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

इस प्रकरण पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया एवम बहास पर मनन किया। अमराराम पुत्र राजुराम कौम सुथार के फौत होने पर नायब तहसीलदार बालेसर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 129 ग्राम राजाबन्ध स्वीकार किया गया। मृतक अमराराम के वारिशान के रूप में 02 पुत्र व मृतक के पत्नी के नाम ही नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है जबकि प्रस्तुत अपील मीमो मे खानदान सजरा के अनुसार मृतक अमराराम की पत्नी फुली, तीन पुत्रीयां जसीदेवी, सीवरीदेवी, रूकमो देवी एवं 02 पुत्र जसाराम व रावलराम है। इस प्रकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत धारा 8 के तहत अपीलार्थीया मृतक अमराराम की प्रथम श्रेणी की वारिशान है। अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक के सभी उत्तराधिकारीयों को बिना सुने नामान्तरकरण पारित किया है तथा उक्त नामान्तकरण की कार्यवाही में विधिक उत्तराधिकारी अपने हक से वंचित किया गया है।

अतः अपील अपीलार्थीया की स्वीकार कि जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपील में ग्राम राजाबन्ध के नामान्तरकरण संख्या 129 दिनांक 14.02.2008 का आदेश एतद निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार बालेसर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 8 के अनुसार स्व. श्री अमराराम पुत्र राजुराम कौम सुथार के प्रथम श्रेणी के वारिशानो की विधिवत जाँच की जाकर नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही एक माह के भीतर नये सिरे से पूर्ण करें।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर

निर्णय आज दिनांक **15.12.2017** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर